

प्रारूप-6
राजस्थान सरकार

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो शिक्षा प्रसार अधिकारी के रूप में विद्यालय/संस्था में कार्यरत है, को अधिवार्षिकी आयु पूरी कर लेने पर उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 05 में अंकित तिथि से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क.सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (श्री/सुश्री/सर्वश्री)	जिला	जन्म तिथि	सेवा निवृत्ति तिथि
1	फतेह सिंह डांगर, कार्यालय ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प.स.- चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	04.02.1958	28.02.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित फतेह सिंह डांगर, शिक्षा प्रसार अधिकारी के विरुद्ध आज तक :-

- (1) (राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) (राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

नोट- सेवानिवृत्ति दिनांक तक कार्मिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल कार्यवाही होती है, तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।

(नथमल डिडेल),
निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक: 28/2/18

क्रमांक:-शिविरा-मा/संस्था/सी-8/पु.अ.-प्रथम श्रेणी/सेवानिवृत्ति/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 2 संबंधित उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, उदयपुर।
- 3 संबंधित उप निदेशक(माध्यमिक), शिक्षा विभाग, उदयपुर।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक), चित्तौड़गढ़।
- 5 कार्यालय ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प.स.- चित्तौड़गढ़
- 6 फतेह सिंह डांगर, कार्यालय ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, प.स.- चित्तौड़गढ़
- 7 निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर